

कार्यालय:- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु (राज.)

क्रमांक : 1(जी)(1)स्था./2025/99

दिनांक : 30.05.2025

कार्यालय आदेश

चूरु न्याय क्षेत्र में राजकीय अवकाशों के दौरान बेल, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों हेतु माह जून, 2025 के लिये निम्न प्रकार से ड्यूटी लगाई जाती है:-

-: माह जून, 2025 :-

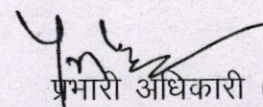
क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम अधिकारी	मोबाईल नम्बर	ड्यूटी दिनांक
1.	श्रीमती नीलम मीणा	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़	8769612580	01.06.2025
2.	सुश्री शिवानी	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु	8168319771	07.06.2025 एवं 08.06.2025
3.	श्रीमती सरिता कायथ	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीदासर	82091-69064	14.06.2025 एवं 15.06.2025
4.	श्रीमती निधि बेनीवाल	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर	7023990686	22.06.2025
5.	श्री विकास गजराज	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़	8233889051	28.06.2025 एवं 29.06.2025

- इन राजपत्रित अवकाशों के अलावा दिनांक 01.06.2025 से 17.06.2025 तक अन्य कोई राजकीय अवकाश घोषित हो जाने पर घोषित अवकाश के दिवस को बेल, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए समस्त चूरु न्यायक्षेत्र के लिए **सुश्री शिवानी, अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु** (मोबाईल नंबर 8168319771) एवं दिनांक 18.06.2025 से 30.06.2025 तक अन्य कोई राजकीय अवकाश घोषित हो जाने पर घोषित अवकाश के दिवस को बेल, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए समस्त चूरु न्यायक्षेत्र के लिए **श्री विकास गजराज, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़** (मोबाईल नंबर 8233889051) की ड्यूटी लगायी जाती है।
- यदि संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित लिंक मजिस्ट्रेट उपलब्ध हों तो उनसे भी बेल, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आदेश प्राप्त किया जा सकता है।
- उपरोक्त आदेश में सामान्य तौर पर परिवर्तन नहीं किया जायेगा परंतु अत्यावश्यक कार्य होने पर संबंधित अधिकारी को अन्य न्यायिक अधिकारी से सहमति प्राप्त करके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में रिमांड ड्यूटी का परिवर्तन करने पर विचार किया जायेगा।
- इस आदेश को पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक प्रभावी माना जायेगा।

sd-
प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)
कार्यालय-जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
चूरु (राज.)
दिनांक : 30.05.2025

क्रमांक : स्था./2025/ 4485
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु।
- पुलिस अधीक्षक, चूरु को समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने हेतु।
- जिला आबकारी अधिकारी, चूरु को समस्त आबकारी वृत्तों को सूचित करने हेतु।
- संबंधित न्यायिक अधिकारीगण को जरिये ई-मेल।
- सिस्टम ऑफिसर, अ.हाजा को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)
कार्यालय-जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
चूरु (राज.)